

30/8/19

SM

पत्रावली बेशुद्ध। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं।
न्यायालय में समय में कई बार आवाने नगरे जाने पर
भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। पत्रावली
अकम फेंकी, अकम राजरी में खारिज की जाती है।
पत्रावली केवल गुमाश्तरी के बाद तुरंत तत्काल
दाखिल दफतर हो।

SM

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीवानगर

